संख्या-514/2025/201के-2/22-3-2025-17(334)/25

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शत्रुघ्न सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह, निवासी जनपद-जालौन की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4040/प्रो0अनु0(2)-286/2025/(बैठक दिनांक 21.01.2025), दिनांक 30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शत्रुघ्न सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह, जो लोहईदिवारा, थाना-सिरसाकलार, जनपद-जालौन का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 13-04-2009 को अपनी ससुराल द्वारा दहेज में मकान बनवाने हेतु रूपये देने के बावजूद पुन: रूपये मांगे जाने पर न दिये जाने के कारण मोटी छड़ (राड) से मारकर अपनी पत्नी शकुन्तला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-74/2009 में भा0द0वि0 की धारा-302, 316 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय ई0सी0 एक्ट, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 03.02.2011 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की आयु रजिस्टर नं0-1 के अनुसार 38 वर्ष है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौन द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में सशक्त होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत सघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अभिमत दिनांक 16.01.2025 द्वारा जेल नियमों, शासन के निर्देशों के अन्तर्गत तथा जेल मैनुअल के आधार पर निर्णय लेने व कार्यवाही करने का परामर्श दिया गया है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा कारित गम्भीर व जघन्य अपराध व बंदी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था व शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-473 (दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा-432) के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शत्रुघ्न सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शत्रुघ्न सिंह (बन्दी संख्या-27003) पुत्र श्री उदयवीर सिंह, निवासी जनपद-जालौन की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-201(1)के-2/22-3-2025-17(334)/25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

3- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 तथा रिट याचिका सं0-161/2022 सुरेन्द्र कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।